न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 123 / 2015 दायरा दिनांक : 08.07.2015

उनवान

घनश्याम पुत्र धूलीलाल, जाति मेघवाल, निवासी दौलतपुरा, तहसील बारां, जिला बारां

......अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां, जिला बारां

.....रेस्पोडेट

बहस हेतु उपस्थिति :– अभिभाषक अपीलांट – श्री बी एल जैन
अभिभाषक रेस्पोडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 09.05.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर बारां के निर्णय दिनांक 25.05.2015 प्रकरण संख्या 343 / 2014 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार बारां के प्रकरण सं0 458 / 2014 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.03.2014 से अपीलांट को ग्राम दौलतपुरा, तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 565 / 345 रकबा 0.10 हेक्टर, किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 30 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 50 / – रूपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरूद्व अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.05.2015 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । आर. बी. जे. 2007 (14) पेज 644 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार सजा माफ की है । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । पत्रावली में न्यायालय हाजा के पत्र क्रमांक 185 दिनांक 12.02.2018 एवं तहसीलदार बारां के आदेश क्रमांक 376 दिनांक 28.02.2018 की पालना में पटवार मण्डल इकलेरा की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.02.2018 की फोटो प्रति सलंग्न है । घनश्याम पुत्र धूलीलाल, जाति मेघवाल द्वारा ग्राम दौलतपुरा की खसरा नम्बर 565/345/1.12 किस्म चारागाह अतिक्रमित रकबा 0.10 हेक्टर ळाूमि पर से वर्तमान में कब्जा नहीं छोड़ है । मुताबिक निर्णय तहसीलदार बारां व विद्वान जिला कलेक्टर, बारां अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2015 यथावत रखा जाता है ।

आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा